Amrapali Village Residents Welfare Association
AVRWA
Amrapali Village, Gyan Khand-II, Kaala Patthar, Indirapuram
Ghaziabad-201014 (U.P.) # Registration Number: I-52637 / 2009
Email: avrwagzb@gmail.com # **www.avrwa.com** # www.facebook.com/avrwa

---

संदर्भ सं. : ए.वी.आर.डब्लु.ए./2016-17/ एल- 17 **दिनांक** 15 **जुलाई 2016**

सेवा में,

श्री मान मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
अग्निशमन कार्यालय,
गाज़ियाबाद।

विषय : उतरप्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम-2005 की धारा -3/4 के अंतर्गत निर्गत नोटिस में अंकित विवरण के अनुसार अग्निसुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या भ-10/एफएसवी-2013 (आम्रपाली विलेज) दिनांक 14 मार्च 2016 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके तहत भवन में वांछनीय अग्नि निवारण सम्बन्धी दिनांक 9 फरवरी 2016 को दिए गए नोटिस पर कार्रवाई और अग्निसुरक्षा सम्बन्धी उपायों को सुदृढ़ कर अग्निशमन विभाग को अवगत कराने हेतु कहा गया है।

2. इस सम्बन्ध में यह कहना है कि आम्रपाली विलेज आर.डब्लू.ए. की नई कार्यकारिणी का गठन दिनांक 15 मई 2016 को होने के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को यह ज्ञात हुआ है कि दिनांक 7 फरवरी 2016 को निरीक्षण करने के पश्चात अग्निशमन विभाग द्वारा 9 फरवरी 2016 (प्रति संलग्न) को "आम्रपाली विलेज" परिसर के अग्निसुरक्षा के उपायों के लिए वांछनीय व्यवस्था करने के साथ साथ यहां के सात टावरों हेतु स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करने पर एक नोटिस जारी किया गया था एवं उसकी एक प्रति "अध्यक्ष, आर.डब्लू.ए. एवं समस्त अधिभोगी, आम्रपाली विलेज, ज्ञान खण्ड -2, इंदिरापुरम" के नाम से भी निर्गत किया गया था। इस सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि आम्रपाली विलेज सोसयटी के रख-रखाव का जिम्मेदारी पूर्णतः आम्रपाली विलेज के भवन निर्माता के पास है और सभी सुविधाएं जैसे कि बिजली, पानी, फायर व सीवर आदि का प्रबंध व रख-रखाव भी भवन निर्माता कंपनी "आम्रपाली ग्रुप" ही देख रही है। अभी तक भवन निर्माता के द्वारा सोसाइटी का रख रखाव आम्रपाली विलेज आर.डब्लू.ए. को हस्तांतरित नहीं किया गया है। इस कारण आर.डब्लू.ए. यह बताने में असमर्थ है कि अग्निशमन विभाग द्वारा दिनांक 9 फरवरी 2016 को दिए गए नोटिस के आधार पर वांछनीय अग्नि निवारण और अग्निसुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करने की कारवाई भवन निर्माता के द्वारा किया गया या नहीं। इस सम्बन्ध में श्री महेश्वरन नायर, पुर्व सचिव, आम्रपाली विलेज आर.डब्लू.ए. के पत्रांक दिनांक 27.10. 2015 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमे आम्रपाली विलेज सोसाइटी के एक फ्लैट में दिनांक 26.10. 2015 को आग लगने की घटना के बाद अग्निशमन विभाग को सूचित करते हुए अग्निशमन व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई थी।

3. अतः आपसे निवेदन है कि दिनांक 9 फरवरी 2016 को दिए गए नोटिस में अंकित विवरण के अनुसार अग्निसुरक्षा के उपायों को भवन निर्माता से सुदृढ़ करवाने के उपरांत आम्रपाली विलेज के सभी टॉवरों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके आर.डब्लू.ए. तथा यहाँ के निवासियों को भी सूचित करने का कष्ट करें। इसके लिए हम आम्रपाली विलेज के निवासी सदा आपके आभारी रहेंगे।

धन्यवाद,

संलग्न : उपरवर्णित पत्र की प्रति

कृते आम्रपाली विलेज आर.डब्लू.ए.
राकेश कुमार
(राकेश कुमार)
सचिव

प्रतिलिपि: 1. अग्निशमन अधिकारी, वैशाली,गाज़ियाबाद
2. जिलाधिकारी, गाज़ियाबाद

नोटिस

(उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम– 2005 की धारा–3/4 के अन्तर्गत)

मै अग्निशमन अधिकारी, वैशाली, गाजियाबाद ,उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम ,2005 के अधीन नियुक्त नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, मेरे द्वारा दिनाकः 07–02–2016 को किये गये निरीक्षण के आधार पर एतदद्वारा भवन/परिसर संख्याः ''आम्रपाली विलेज'' ज्ञान खण्ड–2 मकनपुर इन्दिरापुरम गाजियाबाद'' मे संलग्नक प्रारूप मे वॉच्छनीय अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा के उपाय करने के लिये आपसे अपेक्षा करता हूँ।

उपर्युक्त वॉच्छनीय कार्यवाही विलम्बत् 30 दिनो मे पूर्ण कर अवगत कराये।

संलग्नकः–यथोपरि
पत्राकः–भ–10/एफएसवी–2013
दिनाकः फरवरी, 9, 2016।

नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी/
अग्निशमन अधिकारी
वैशाली गाजियाबाद।

सेवा में,

~~1~~–अध्यक्ष आर.डब्लू.ए. एवं समस्त अधिभोगी,
मैसर्स आम्रपाली विलेज मकनपुर
ज्ञान खण्ड–2, इन्दिरापुरम
गाजियाबाद।

2–श्री अजय निदेशक,
आम्रपाली विलेज मकनपुर
ज्ञान खण्ड–2, इन्दिरापुरम
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः–निम्नाकिंत को सादर सूचनार्थ एंव आ0का0 हेतु।
1–जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद।
2–मुख्य अग्निशमन अधिकारी ,गाजियाबाद ।

भवन का नाम एवं पता :–आम्रपाली विलेज ज्ञान खण्ड–।। इन्दिरापुरम गाजियाबाद।
भवन की आक्यूपेन्सी–रेजिडेन्सियल (ए–4)
2बी+भूतल+17 तलो तक निर्मित है।
जिसकी ऊचाई (लगभग–56.10 मीटर)

कम	वॉच्छनीय बिन्दु	एन0बी0सी/भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार वॉच्छनीय	उपलब्ध	कमी
1–	पहुँच मार्ग :–	36 मीटर	36 मीटर	–
2–	पानी की स्थायी टंकी 1–भूमिगत 2–टैरेस	75,000 ली0 10,000 ली0	1,00,000 ली0 10,000 ली0(प्रत्येक टावर पर)	टावर ई.एफ.जी.एच.जे.के.एल. हेतु भूमिगत टैंक स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है। अधिकांश टावरो पर टैरिस टैंक खाली अवस्था पाये गये जिनको किसी भी दशा में खाली न रखा जाये।
3–	स्वचालित स्प्रिकलर सिस्टम	भवन की ऊचाई 45 मीटर से अधिक होने के कारण बेसमेन्ट सहित सम्पूर्ण भवन मे वॉच्छनीय	बेसमेन्ट के अतिरिक्त टावर ई.एफ.जी.एच.के. एल. मे स्थापित है।	स्थापित अकार्यशील स्प्रिंकलर को कार्यशील कराया जाना वॉच्छनीय है।
4–	फर्स्ट एड होजरील	प्रत्येक तल पर वॉच्छनीय	प्रत्येक तल पर स्थापित है।	अकार्यशील दशा में उपलब्ध सभी होजरील को कार्यशील कराया जाना वॉच्छनीय है।
5–	भारतीय मानक संस्थान प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त अग्निशामक	आई0एस–2190 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।	स्थापित है परन्तु कतिपय अकार्यशील दशा मे है।	अकार्यशील दशा मे उपलब्ध फायर एक्सटिग्यूशरो का रिफलिंग कराकर उनको कार्यशील कराते हुये उनकी निर्धारित टैस्टिग शुल्क राजकीय कोषागार मे जमा कराया जाना वॉच्छनीय है।
6–	कम्पार्टमेन्टेशन	सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्रो के अनुसार	–	सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्रो की प्रतियो का उपलब्ध कराया जाना वॉच्छनीय है।
7–	हस्तचालित विद्युत अग्नि चेतावनी पद्वतिः–	प्रत्येक तल पर वॉच्छनीय है।	कतिपय तलो पर कार्यशील है।	भवन के सम्पूर्ण तलो पर स्थापित कर कार्यशील कराया जाना वॉच्छनीय है।
8–	सार्वजनिक भाषण व्यवस्था	वॉच्छनीय है।	स्थापित है जो अकार्यशील दशा मे है।	कार्यशील कराया जाना वॉच्छनीय है।
9–	निकास मार्ग के प्रदीप्त सकेंत चिन्ह	वॉच्छनीय है।	कतिपय टावरों में स्थापित है।	सम्पूर्ण टावरों के प्रत्येक तल पर स्थापित किये जाने वॉच्छनीय है।
10–	विधुत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत	वॉच्छनीय है।	उपलब्ध है।	–
11–	फायरमैन स्विच युक्त फायर लिफट	वॉच्छनीय है।	उपलब्ध है।	कतिपय लिफटों में फायर मैन स्विच अकार्यशील दशा में पाये गये जिनको कार्यशील कराया जाना वॉच्छनीय है।
12–	वेट राईजर कम डाउनकमर : पम्पो का विवरणः–	वॉच्छनीय है। टावर ए.बी.सी.डी. मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1620 एलपीएम क्षमता का विधुत चालित व इतनी ही क्षमता का डीजल चालित व 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प	उपलब्ध है। टावर ए.बी.सी.डी. मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु 1620 एलपीएम क्षमता का विधुत चालित व इतनी ही क्षमता का डीजल चालित व 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प व स्प्रिंकलर पम्प स्थापित है।	टावर ई.एफ.जी.एच.जे.के.एल में 2280 एलपीएम क्षमता का विद्युत चालित पम्प एवं इतनी ही क्षमता का डीजल चालित पम्प व 180एलपीएम क्षमता का जॉकी पम्प स्थापित कराया जाना वॉच्छनीय है।

13–	सैट बैक	अग्निशमन वाहनो की अपेक्षाओ हेतु न्यूनतम 06–06 मी0 मोट्रेबुल सैट बैक वॉच्छनीय है।	मोटरेबुल सैट बैक उपलब्ध है। किन्तु कहीं–कहीं मोटरेबुल मार्ग अवरोधित किया गया है।	परिसर के चारो तरफ 06–06 मीटर मोटरेबुल सैट बैक उपलब्ध करायी जाये अथवा सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्रो के अनुसार सैट बैक की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
14–	निकास की आवश्यकताये एवं बचाव के मार्ग	सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्रो के अनुसार	दो स्टेयर क्रमशः 1.20 मीटर व 1.00 मी0 चौडाई	निर्धारण हेतु सत्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्रो की प्रतियां उपलब्ध करायी जाये।
15–	फायर ड्रिल	वॉच्छनीय है।	नही करायी जा रही है।	06 माह मे एक बार अवश्य करायी जाये। रजिस्टर में अंकित करायी जाये।
16–	अग्निशमन पद्वति के प्रचालन के लिये स्टाफ/प्रशिक्षण	वॉच्छनीय है।	उपलब्ध नहीं है।	प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध कराकर विवरण उपलब्ध कराया जाये।
17–	अग्निशमन पद्वति का अनुरक्षण	वॉच्छनीय है।	नही कराया गया है।	नियमानुसार अनुपालन करते हुये विवरण रजिस्टर मे अकिंत किया जाना वॉच्छनीय है।
18–	निष्क्रमण योजना एवं ड्रिल	वॉच्छनीय है।	नही कराया गया है।	समय–समय पर ड्रिल करायी जानी वॉच्छनीय है।
19–	सावधि अग्नि सुरक्षा लेखा परीक्षण	वॉच्छनीय है।	नही कराया गया है।	कराया जाना वॉच्छनीय है।
20–	विहित फीस जमा करने के पश्चात अग्निशोधन का सावधि नवीनीकरण	वॉच्छनीय है।	नही कराया गया है।	सम्पूर्ण भवन का अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी कम्पलीशन अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति उपलब्ध कराते हुये नवीनीकरण कराया जाना वॉच्छनीय है।

नोट–निरीक्षण के दौरान टावर ई.एफ.जी.एच.जे.के.एल के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग का स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया वर्तमान में भवन का उपयोग किया जा रहा है। व्यवस्थाओं के अभाव में भवन असुरक्षित बना हुआ है।

21/1/16

नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी/
अग्निशमन अधिकारी
वैशाली गा0बाद।

AVRWA

Amrapali Village Residents Welfare Association

Amrapali Village, Gyan Khand-II, Kaala Patthar, Indirapuram
Ghaziabad-201014 (U.P.) # Registration Number: I-52637 / 2009
E: avrwagzb@gmail.com # **www.avrwa.com** # www.facebook.com/avrwa

---

सेवा में,

दिनाँक :- 27-Oct-2015

1) मुख्य अग्नि शमन अधिकारी
गाज़ियाबाद (उ० प्र०)

2) उपाध्यक्ष गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद (उ० प्र०)

विषय :- अम्रपाली विलेज ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में अग्नि शमन व्यवस्था एवं GDA द्वारा निर्धारित नियम, शर्तें एवं मानकों के अधीन हुये निर्माण में घोर अनियमितता व अनदेखी कर रेसिडेंट्स की जान-माल को असुरक्षित करना।

महोदय,

कृपया दिनाँक 26-Oct-2015 की सांय अम्रपाली विलेज ग्रुप हाउसिंग के AH ब्लॉक के फ्लैट न० 1003 में भयंकर लगी आग से हुये हादसे से आप भली भांति अवगत हुये होंगे कि जिसमे दो लोग मौत के शिकार हुये तथा एक अभी भी गम्भीर स्थिति में जीवन मौत से जूझ रहा हैं। यह भयंकर आग का हादसा उस फ्लैट में हुआ जो अम्रपाली विलेज के A ब्लॉक में स्थापित हैं तथा अम्रपाली ग्रुप के प्रमोटर्स को विगत कुछ माह ही पूर्व A ब्लॉक सहित B,C एवं D ब्लॉकों हेतु संयुक्त निदेशक, उत्तर प्रदेश फायर सर्विस, लखनऊ द्वारा NOC जारी की गयी थी। यह NOC स्थानीय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी एवं मण्डलीय अधिकारी मेरठ की संस्तुति पर मात्र मानकों को नजरअंदाज कर जारी करायी गयी। अवगत कराना हैं कि संदर्भित फ्लैट में जब आग लगी तब उसको भुझाने हेतु स्थापित अग्नि शमन व्यवस्था पूर्णत: नाकाम साबित हुयी थी। जिसके कारण से ही आग ने उग्र रूप ले ऊपर नीचे के फ्लैटों को भी काफी क्षतिग्रस्त किया हैं।

उपरोक्त घटना की भयंकरता एवं अग्नि शमन स्थापित व्यवस्था मानक अनुरूप होने के कारण आज दिनाँक 27-10-2015 समय लगभग दोपहर 2 बजे के उपरांत रेसिडेंट्स की जान-माल की सुरक्षार्थ AVRWA के पदाधिकारियों ने प्रमोटर्स की रख रखाव वाली इकाई मेंटेनेंस एंड सपोर्ट के कर्मचारियों को साथ ले मॉक ड्रिल ब्लॉक K, L, J एवं H में किया। जिसमे यह सुनिश्चित हुआ कि इन ब्लॉकों में अग्नि शमन व्यवस्था जो CFO गाज़ियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या FS-37/2010 दिनाँक 26-मार्च-2010 में निर्दिष्ट मानकों/शर्तों के अंतर्गत व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु नगर नियोजक गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण, गाज़ियाबाद को निर्देशित किया गया था कि वे M/s Ultra Home Construction Private Limited ग्रुप हाउसिंग पर अग्नि शमन अनापत्ति प्रमाण पत्र के रूप में निर्गत था परन्तु CFO द्वारा पत्र में निर्दिष्ट दिशा निर्देश, शर्तें एवं अग्नि शमन मानक संबंधी कोई व्यवस्था प्रमोटर्स द्वारा उक्त फ्लैटों के ब्लॉकों में समुचित नहीं पायी गयी। एक मात्र तीन ब्लॉकों (K, L, J) में मात्र दिखावे की अग्नि शमन व्यवस्था हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ब्लॉकों में भी अग्नि शमन व्यवस्था पूर्णत: छिन्न-भिन्न एवं कार्यगर जो जान माल की सुरक्षार्थ उपयोगी हो नहीं पायी गयी। हम लोगों के मॉक ड्रिल के समय जो जो भी शमन व्यवस्था में कमिया आदि देखी गयी उन्हें अम्रपाली ग्रुप के मेंटेनेंस स्टाफ को स्पष्ट रूप से नोट करने को कहा गया और यह भी कहा गया कि वे इसे तत्काल CFO के पत्र में निर्दिष्ट मानक एवं शर्तों के अनुरूप अग्नि शमन व्यवस्था सुनिश्चित कराये।

गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण के पदाधिकारियों से भी अनुरोध हैं कि वे उपरोक्त विषम उत्पन्न स्थितियों से अवगत हो अम्रपाली विलेज के रेसिडेंट्स की जान माल की सुरक्षार्थ वह भी अपने स्तर से यह सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि उनके द्वारा नक्शा अनुबोधन के साथ नक़्शे के अनुरूप एवं दी गयी नियम एवं शर्तों का विधिवत पालन हुआ हैं या नहीं। यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब GDA रेसिडेंट्स के प्रति कुछ

Amrapali Village Residents Welfare Association
AVRWA
Amrapali Village, Gyan Khand-II, Kaala Patthar, Indirapuram
Ghaziabad-201014 (U.P.) # Registration Number: I-52637 / 2009
E: avrwagzb@gmail.com # **www.avrwa.com** # www.facebook.com/avrwa

सहानुभूति की सीमा में खड़ा हो संयुक्त निरीक्षण अम्रपाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का कराना सुनिश्चित करे और रेसिडेंट्स को उनके अधिकार अंतर्गत उनके Welfare एवं सुरक्षार्थ हेतु प्रमोटर से व्यवस्था सुनिश्चित कराये।

अत: हमारा आपसे विगत दिनाँक 26-10-2015 में घटी घटना से उत्पन्न हुये आघातों एवं प्रमोटर द्वारा किये गए विश्वासघात को अवलोकित कर, आपसे अनुरोध करना हैं कि कृपया भविष्य में हम लोगों की जान माल की सुरक्षा को ध्यान रख तत्काल निम्न बिन्दुओं पर जनहित में कार्यवाही कराने की कृपा करें-

1. निर्मित आवाद ग्रुप हाउसिंग ब्लॉकों में अग्नि शमन मानकों एवं GDA आदि की शर्तों का पालन प्रमोटर द्वारा कराया गया हैं या नहीं ? यदि नहीं तब उसकी व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाये एवं विधिवत कार्यवाही की जाये।

2. अम्रपाली ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉकों A,B,C एवं D हेतु जारी NOC पर अधिकारियों की टीम से सत्यता की जांच करायी जाये। जिससे प्रमोटर की वास्तविकता उजागर हो।

3. ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में स्थापित A,B,C,D ब्लॉकों हेतु संयुक्त निदेशक उत्तर प्रदेश फायर सर्विस लखनऊ से बिल्डर के पक्ष में जारी NOC के परिपेक्ष में फायर सर्विस की गाड़ियों के साथ इन चारों ब्लॉकों में अलग अलग मॉक ड्रिल शीघ्र कराया जाये जिसके लिये अनेकों ईमेल से अनुरोध किया जा चुका हैं। इन ब्लॉकों में भी स्थापित अग्नि समन मानकों का Joint निरीक्षण शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4. अम्रपाली विलेज सोसाइटी में अग्नि समन मानकों का नियमित quarterly/half yearly निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित निर्धारित की जाये ताकि भविष्य में उपरोक्तानुसार कोई अनहोनी घटना किसी ब्लॉक एवं फ्लैट में घटित न हो सके।

कृपया उपरोक्त पर शीघ्र/तत्काल कार्यवाही करने/कराने का कष्ट करें। अन्यथा भविष्य की कोई अनहोनी घटना के लिये सीधे-सीधे व्यवस्थापक भी जिम्मेदार होंगे।

<u>प्रतिलिपि</u> : निम्न को विधिवत जांच कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1) जिलाधिकारी गाज़ियाबाद
2) संयुक्त निदेशक फायर सर्विस, लखनऊ

भवदीय

महेश्वरन नेयर
(महा सचिव)